05/01/23 प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज सुनवाई हेतु ली गयी। प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र लेख कर निवेदन किया कि उक्त उनवान प्रकरण की विचारित अवधि के सम्बन्ध में इस पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना के अनुसार हो गया है जिसके उक्त उनवान प्रकरण आपसी समझौते से निस्तारित हो गया। उक्त प्रकरण जरिये राजीनामा विद्वान सहायक कलेक्टर

प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर मूल वाद पत्र जरिये विद्वान सहायक किये जाने के अब इस प्रकरण में कोई अनुतोष शेष नहीं रहा है अतः इस न्यायालय द्वारा आदेश अन्तर्गत दिनांक 11/05/2022 निरस्त की जाकर उक्त उनवान प्रकरण जरिये राजीनामा विद्वान सहायक किया जाता है पत्रावली निष्पादित स्वतंत्र होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.13 15:40:20 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर, पुष्करणा